अनुदान संख्या 71 – योजना मंत्रालय
GRANT No. 71–MINISTRY OF PLANNING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	123,83,00	85,86,20	–37,96,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			28,13,02

टीका और टिप्पणियां / ***Notes and comments***

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	6333.00	6540.00	6202.44	–337.56
पु.	R.	207.00			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of Natural Calamities				
मू.	O.	1500.00	638.98	47.03	–591.95
पु.	R.	–861.02			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	4250.00	2091.00	2036.73	–54.27
पु.	R.	–2159.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''3451'' - 'योजना आयोग/योजना बोर्ड' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) 'कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण - 139.75 लाख रु. की बचत (2705.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, हार्डवेअर/ साफ्टवेअर मदों की अधिप्राप्ति के संबंध में पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय से नामे दावे प्राप्त न होने और चल रही परियोजनाओं के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(खा) 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' - 262.35 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता होने और घरेलू एवं विदेशी दौरों पर कम व्यय किए जाने और के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - प्राकृतिक विपत्ति का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं - सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम' के अंतर्गत 1452.97 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम विकास सलाहकारों को काम पर न लगाए जाने, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्रभावी अध्ययनों से संबंधित कम प्रस्ताव प्राप्त होने और पुनर्वास की स्थिति पर रिपोर्टों के प्रकाशित न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) 'राज्य मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता - 636.00 लाख रु. की बचत (1636.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) 'योजना के 50वें वर्ष की शुरूआत'' - 733.09 लाख रु. की बचत (1164.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सलाहकारों को किराए पर लेने के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और दस्तावेजों का प्रकाशन न किए जाने के कारण हुई।

(गा) 'सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण' - 828.69 लाख रु. की बचत (855.00 लाख रु. के स्वीकृत

(I) Under Major Head "3451" - "Planning Commission/Planning Board" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Modernisation of Office Systems"- saving of Rs.139.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2705.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase proposals, non-receipt of debit claims from Directorate General of Supplies and Disposals against procurement of hardware/ software items and non-utilisation of funds by Central Public Works Department for ongoing projects.

(B) "National Knowledge Commission" - saving of Rs.262.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year and less expenditure on domestic and foreign tours.

(II) Under Major Head "2245" - "General - Management of Natural Disasters, Contingency Plans in disaster prone areas - Tsunami Rehabilitation Programme" - saving of Rs.1452.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to disengagement of Programme Development Consultants, receipt of less proposals for Impact Studies from States/ Union Territories and non-publishing of reports on Status of Rehabilitation.

(III) Under Major Head "3475" - "Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance from UNDP for Preparation of State Human Development Reports"- saving of Rs.636.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1636.00 lakhs) was due to non-finalisation of projects.

(B) "50th Year Initiative for Planning" - saving of Rs.733.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1164.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for hiring Consultants and non-publishing of documents.

(C) "Strengthening Evaluation Capacity in Government" - saving of Rs.828.69 lakhs (against

प्रावधान की तुलना में) मूल्यांकन अध्ययनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.82 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (531.80 लाख रु.)प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड - मुख्यालय" के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 408.42 रु. लाख था।

the sanctioned provision of Rs.855.00 lakhs) was due to non-finalisation of evaluation studies.

(IV) Under one head saving of Rs.98.82 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.531.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "3451" - "Planning Commission/Planning Board - Headquarters". Actual excess, however, was Rs.408.42 lakhs.